प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 24.01.2025 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1- नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने तथा दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार, थाना मझोलाः-

अवगत कराना है कि दिनांक 23.12.2024 को वादी निवासी थाना मझोला क्षेत्रान्तर्गत ने आरोपी द्वारा वादी की पुत्री बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में थाना मझोला पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना मझोला पर मु0अ0सं0 1119/2024 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में लड़की को पूर्व में सकुशल बरामद कर, मुकदमा उपरोक्त में धारा 87, 64 बीएनएस व धारा 3 / 4 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गई है। आज दिनांक 24.01.2025 को उ0नि0 श्री अर्जुन सिंह थाना मझोला द्वारा मय हमराही पुलिस बल के आरोपी नईम पुत्र बुन्दू खान निवासी मौहम्मदी मस्जिद के पास तारिक नगर करूला थाना मझोला, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

2- थाना कटघर पुलिस द्वारा ग्राम सिरसा इनायतपुर उर्फ दौडभाग में दिनांक 19.01.2025 को हुए दो पक्षो में झगडे के फायरिगं करने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त तमन्चा मय एक जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण, अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक अपराध के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कटघर के नेतृत्व में आज दिनांक 24.01.2025 को प्रभारी निरीक्षक कटघर द्वारा मय टीम के दिनांक 19.01.25 को सिरसा इनायतपुर उर्फ दौडभाग में दो पक्षो में हुए झगडे में हुई फाईरिंग की घटना में थाना कटघर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 33/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/352/351(3)/109(1) बी0एन0एस0 2023 व 7 क्रिमिनल लॉ एमेन्डमेन्ट एक्ट में वांछित अभियुक्त सुभान अली पुत्र चांद बाबू निवासी सिरसा इनायतपुर उर्फ दौडबाग थाना कटघर जनपद मुरादाबाद को मय एक अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ते साथ गिरफ्तार किया गया।

3- अवैध चाकू के साथ 02 आरोपी गिरफ्तार थाना भगतपुरः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 24.01.2025 को थाना भगतपुर पुलिस द्वारा अनिकेत पुत्र हंसराज नि0 ग्राम मलवाडा उर्फ मानपुर थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद को 01 अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में अभियुक्त अनिकेत उपरोक्त के विरुद्ध थाना भगतपुर पर मु0अ0सं0-11/2025 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया है तथा राहुल पुत्र हरिसिहं नि0 ग्राम दाण्डी दुर्जन थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद को 01 अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में अभियुक्त राहुल उपरोक्त के विरुद्ध थाना भगतपुर पर मु0अ0सं0-12/2025 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया है, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

4- अवैध चाकू के साथ 01 आरोपी गिरफ्तार थाना मझोलाः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 24.01.2025 को थाना मझोला पुलिस द्वारा सुमित ठाकुर पुत्र विनोद ठाकुर नि0 नवादा थाना असमोली जिला सम्भल हाल पता मो0 कुन्दनपुर बब्बू सरदार की कोठी थाना मझोला जिला मुरादाबाद को 01 अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मझोला पर मु0अ0सं0-42/2025 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया है, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 312/16 धारा 136,137,विधुत अधि0 थाना मझोला जनपद मुरादाबाद।
2. मु0अ0सं0 363/16 धारा 398/401 आईपीसी थाना मझोला जनपद मुरादाबाद।
3. मु0अ0सं0 574/16 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द क्रियाकलाप समाजविरोधी अधि0 थाना मझोला जनपद मुरादाबाद।

5- थाना मैनाठेर पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने के 03 आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 24.01.2025 को थाना मैनाठेर पुलिस द्वारा अभियुक्त 1.मुजाहिद पुत्र शफीक निवासी ग्राम मौहम्मदपुर बस्तौर थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद 2.फिरोज पुत्र यासीन निवासी ग्राम मौहम्मदपुर बस्तौर थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद 3.सतीश पुत्र स्व0विजय पाल निवासी ग्राम सूरजपुर कल्याण थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।